न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 58 / 18	27–07–2018	15–10–2018

1–पप्पू दत्तक पुत्र छोटी देवी जाति स्वामी निवासी ग्राम खोहरी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0
–प्रार्थी

बनाम

1– रामेश्वर पुत्र हीरादास
2– भूदादास पुत्र हीरादास
3– रामकरण पुत्र हीरादास
4– रामकरण पुत्र सुगनचन्द पौत्र हीरादास
5– ताराचन्द पुत्र सुगनचन्द पौत्र हीरादास
6– राधादेवी पत्नी सुगनचन्द पुत्रवधु हीरादास
7– कृष्णा पुत्री सुगनचन्द पौत्री हीरादास
8– मुली पुत्री सुगनचन्द पौत्री हीरादास जाति स्वामी निवासीयान ग्राम खोहरी तहसील बानसूर जिला अलवर राज0

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री राजेश कुमार गुप्ता –वकील प्रार्थी
02. श्री शंकर लाल सैनी –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर सहायक कलैक्टर बानसूर के न्यायालय में विचाराधीन दावा बअनुवानी रामेश्वर वगै0 बनाम बनवारी वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय सहायक कलैक्टर बानसूर में अप्रार्थीगण द्वारा दावा बअनुवानी रामेश्वर वगै0 बनाम बनवारी वगै0 पेश किया हुआ है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत है। प्रार्थी को न्याय की कतई उम्मीद नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फैसला करने की गर्ज से जल्दी–जल्दी तारीख दी जा रहीं है तथा वादी अप्रार्थीगण के कहे अनुसार ही उपरोक्त प्रकरण में तारीख पेशी दी जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 16.07.2018 को अपने गांव में मिन प्रार्थी से ऐलानीय कहां गया कि पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गयी है। और हमारे अनुसार निर्णय करवा लेगें। अप्रार्थीगण को कई मर्तबा न्यायालय समय में पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते–जाते देखा है। जिस कारण से प्रार्थी को पहले से ही इस बात का शक था परन्तु अप्रार्थीगण को ऐलानीय कहने के बाद प्रार्थी को पूरा विश्वास हो गया कि अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अप्रार्थीगण से साज–बाज है। जिस कारण प्रार्थी उक्त प्रकरण की सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में ना करवाकर अन्य किसी समकक्ष न्यायालय में करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर बानसूर में विचाराधीन मुकदमा रामेश्वर बनाम बनवारी को किसी दीगर न्यायायल में स्थानान्तरित किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि जिम्मन नं0 2 जिस कदर दर्ज किया है, गलत व अस्वीकार है, क्योंकि प्रार्थी द्वारा जो अधीनस्थ न्यायायल पर लांक्षन लगाया गया है वह कतई झूठा व गलत है। न्यायालय सहायक

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

कलक्टर बानसूर में कानूनी रूप से विधिवत् कार्यवाही की है। प्रार्थना–पत्र का जिम्मन नं0 3 भी गलत व अस्वीकार है क्योंकि अप्रार्थी द्वारा गांव में किसी प्रकार की कोई ऐलानीय धमकी नहीं दी गयी। जबकि सत्यता यह है कि दिनांक 02.02.2018 को वादी साक्ष्य सम्पूर्ण रूप से किया जाकर साक्ष्य प्रतिवादी में लगायी गयी थी। जो आदिनांक तक साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं की है। दिनांक 23.04.2018 को न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को रू0 200/– की कोस्ट पर अंतिम अवसर दिया गया था, इसके बाद दिनांक 10.07.2018 को साक्ष्य प्रतिवादी उपस्थित नहीं होने पर स्वतः बन्द करने के आदेश दिये गये थे। इसके बावजूद भी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं किये गये। दिनांक 25.07.2018 को प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र आदेश 26 नियम 9 सीपीसी पेश किया गया, जो उसी दिन अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब न देते हुए सीधा बहस के लिए निवेदन किया गया। जो बहस सुनी गई दिनांक 06.10.2017 को उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार बानसूर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट तलब की गई। जिसके आधार पर आदेश 26 नियम 9 सीपीसी खारिज फरमाया गया। आगामी दिनांक 30.07.2018 को साक्ष्य प्रतिवादी के लिए अवसर दिया गया। जो आदिनांक तक नहीं करवाये गये। प्रार्थना–पत्र का जिम्मन नं0 4 झूठा व काल्पनिक है, क्योंकि पीठासीन अधिकारी ने मुताबिक कानून कार्य किया है अप्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी से कभी कोई अव्यवहारिक बात नहीं की है, जिससे न्यायालय की गरिमा को कोई आघात होता हो। प्रार्थी ने अप्रार्थी को केवल तंग व परेशान करने की नियत व वाद को विलम्ब करने के आशय से प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। हम अप्रार्थीगण के बुजुर्गानों ने दिनांक 30.12.1980 को प्रार्थी के बुजुर्गान से खरीद किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक कानून निस्पक्ष रूप से कार्यवाही की गई है। आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नही किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर बानसूर ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि पीठासीन अधिकारी द्वारा निस्पक्ष एवं न्याय के अनुसार कार्य किया गया हैं। पीठासीन अधिकारी के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर व उच्चाधिकारियों से समय–समय पर प्राप्त निर्देशोंनुसार समस्त प्रकरण में छोटी–छोटी तारिख पेशी नियत कर निस्तारण के प्रयास किये जा रहे है। उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों की उपस्थिति में तारीख पेशी नियत की जाती है। प्रार्थी द्वारा अंकित समस्त तथ्य झूठे, मनमाने व मनगढन्त, गलत व निराधार अंकित किये है। प्रार्थी का यह कथन कि पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो चुकी है व हमारे अनुसार निर्णय करवा लेगें आदि समस्त तथ्य झूठे, मनमाने व मनगढन्त, गलत व निराधार अंकित किये है। प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्यों से पीठासीन अधिकारी को कोई वास्ता नहीं है। उपरोक्त तथ्यों को प्रार्थी स्वंय सिद्ध करें। पीठासीन अधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी भी है। इसलिए अपनी समस्यायें लेकर पब्लिक आती रहती है। प्रार्थी द्वारा अंकित तथ्यों से पीठासीन अधिकारी को कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थी ने यह समस्त कथन झूठे, मनमाने व मनगढन्त, गलत व निराधार अंकित किये है। प्रकरण का निस्तारण नहीं हो इस उद्देश्य से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। अगर उक्त प्रकरण को अन्य किसी दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय प्रति सहायक कलैक्टर बानसूर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15–10–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)